झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–48 वर्ष 2019

राकेश रंजन श्रीवास्तव, उम्र लगभग 51 वर्ष, पे0–स्वर्गीय एल0एल0 श्रीवास्तव, निवासी–'कामायनी', मकान संख्या–143/2, बालीहार रोड, मोराबादी, डाकघर–मोराबादी, थाना–लालपुर, जिला–राँची, झारखण्ड ....

याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सुनील कुमार, पे0–श्री रघु नन्दन राम, निवासी–क्वार्टर संख्या–2126, 4 रोड, सेक्टर–9बी, डाकघर एवं थाना–हरला, जिला–बोकारो, झारखण्ड .....

..... विपक्षीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री नवीन कु0 जयसवाल, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए :– ए0पी0पी0।

02/दिनांक 02.05.2019

1. यह आपराधिक विविध याचिका दिनांक 16.11.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/420/504/506 सपठित धारा 34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (एक्स) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1–ए) के तहत भी अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ओ0पी0 सं0 2 द्वारा जी0आर0 संख्या 766/2018 के अनुरूप, सेक्टर–IV (एस0सी0/एस0टी0) थाना काण्ड संख्या 8/2018 दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्त्ता ने ओ0पी0 संख्या 2 को उनके जाति के संबंध में टिप्पणी करके अपमानित किया था। यह घटना बोकारो क्लब में हुई थी जब ओ0पी0 संख्या 2 ने अपने बकाया राशि की वापसी के लिए याचिकाकर्त्ता से सम्पर्क किया था। जब ओ0पी0 सं0 2 शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था, तो याचिकाकर्त्ता ने उसे छेक लिया और बंदूक के नोक पर उसे जान मारने की धमकी दी थी।

3. यह निवेदन किया गया है कि पुलिस ने अंतिम प्रपत्र को अनुलग्नक–2 द्वारा दाखिल किया था, इस निष्कर्ष के साथ कि विवाद नागरिक प्रकृति का था।

4. यह तर्क दिया जाता है कि प्रभाष चंद्र के अनुरोध पर, याचिकाकर्त्ता ने अपने फर्म में ओ0पी0 सं0 2 को नियुक्त किया था। यह निवेदन किया जाता है कि यदि याचिकाकर्त्ता के मन में ओ0पी0 सं0 2 के जाति के विरूद्ध कोई दुर्भावना या द्वेष होता तो वह उन्हें अपने फर्म में नियुक्त नहीं करता।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि वास्तव में, याचिकाकर्त्ता और प्रभाष चंद्र फर्म के निदेशक हैं। उस प्रभाष चंद्र ने कुछ वित्तीय अनियमितताएं की थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभाष चंद्र फर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। यह कि प्रभाष चंद्र द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के कारण, याचिकाकर्त्ता ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। चूंकि याचिकाकर्त्ता ने पुनर्विचार नहीं किया था, इसलिए प्रभाष चंद्र

ने ओ0पी0 सं0 2 को तत्काल मामला दर्ज करने के लिए तैयार किया है। जांच करने पर, पुलिस ने अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया, लेकिन निचली अदालत ने धारा 406/420/504/506 और एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम की धारा 3 (एक्स) के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा 35 (1–ए) के तहत अपराध का संज्ञान पुलिस के निष्कर्षों से असहमत होने के कारणों को बताए या दर्ज किए बिना लिया है। यह संज्ञान पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण नोट के आधार पर लिया गया है, बिना तय सिद्धांत पर विचार किए कि पर्यवेक्षण नोट जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्य का हिस्सा नहीं है।

6. विद्वान ए0पी0पी0 जिन्हें राहुल कुमार द्वारा सहायता प्रदान किया गया और ओ0पी0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत द्वारा आक्षेपित आदेश को पारित करने में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं किया गया है, क्योंकि यह अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रतिपादना है कि अदालत से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के लिए एक वक्ता के रूप में कार्य करे। अदालत के पास अपराध का संज्ञान लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय पुलिस के निष्कर्षों को स्वीकार करने या न करने की शक्ति है। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश में, केस डायरी के पैरा 4 और 5 में उपलब्ध सामग्रियों के संदर्भ दिए गए हैं। निचली अदालत ने पर्यवेक्षण नोटो को ध्यान में रखा है क्योंकि जांच अधिकारी ने उच्च पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण नोटो के आधार पर अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कहा गया है कि विवाद नागरिक प्रकृति का था और भारतीय दण्ड संहिता या

एस0सी0/एस0टी0 और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध बनाया गया था। दी गई परिस्थितियों में, निचली अदालत ने केस डायरी और पर्यवेक्षण नोट में उपलब्ध सामग्रियों के लिए अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है और अपनी संतुष्टि दर्ज की कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

7. सुना है। यह अच्छी तरह से एक स्थापित विधिक स्थिति है कि अदालत को केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के वक्ता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। दं0प्र0सं0 की धारा 109 (बी) के तहत अदालत को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने का अधिकार है। हालांकि, जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है और निचली अदालत क्लोजर रिपोर्ट से असहमत है या अलग राय रखती है, तो अदालत को क्लोजर रिपोर्ट से असहमत होने के कारणों को बताना होगा। अदालत को पुलिस रिपोर्ट से सहमत नहीं होने के लिए उपलब्ध सामग्रियों की खुली चर्चा करना आवश्यक है।

संज्ञान लेने के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अदालत ने उच्च पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण नोटों और केस डायरी के पैरा 4 और 5 पर विचार किया है और कहा है कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ पूर्वोक्त अपराधों का संज्ञान लेने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वास्तव में, निचली अदालत ने इस तथ्य की विवेचना नहीं कर के त्रुटि की है कि पर्यवेक्षण नोट जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों का हिस्सा नहीं हैं। जाहिर है, उच्च पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण नोटों के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि विवाद नागरिक प्रकृति का था। इसलिए, अदालत द्वारा

पर्यवेक्षण नोटों के आधार पर संतुष्ट होकर एक प्रथम दृष्टया मामला बिना कारण बताए बनाना अपने आप में आत्म–विरोधाभाषी है।

8. यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतिपादना है कि पर्यवेक्षण नोट जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र की गई सामग्री नहीं हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा की गई पर्यवेक्षण नोट, वास्तव में, प्रकृति में निर्देशिका हैं और वे परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले पुलिस कागजात या केस डायरी का एक हिस्सा नहीं बनते हैं।

9. उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों में, दिनांक 16.11.2018 के आदेश को खारिज किया जाता है, और पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट से भिन्न और असहमत होने के कारणों को बताकर विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए मामले को निचली अदालत भेजा जाता है।

10. चूंकि दिनांक 16.11.2018 के संज्ञान का आदेश खारिज हो गया है, इसलिए याचिकाकर्त्ता के खिलाफ पीड़क कारवाई उठाने का आदेश समाप्त हो जाता है।

11. उक्त दिशा–निर्देश के साथ, वर्तमान आपराधिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता हैं

(श्री अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)